कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज।

(प्रशाखा–माध्यमिक शिक्षा)

कार्यालय–आदेश

विभागीय संकल्प संख्याः– 9/बि0 वि0 प0 स0:– 09/2015–51 दिनांकः– 25.01.2018 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में किशनगंज जिलान्तर्गत उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षक की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर लेने के क्रम में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का विद्यालयवार एवं विषयवार चयन किया गया है (सूची संलग्न)। इसकी सूची NIC के वेबसाईट पर भी अपलोड कर दी गई है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है।

1. राजकीय, राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा देने वाले अतिथि शिक्षक विद्यालय के लिए शिक्षक के नियोजन होने तक कार्यरत रहेंगे।
2. विद्यालयों में वर्तमान छात्र संख्या को दृष्टिपथ में रखते हुए अतिथि शिक्षकों को 1000/–(एक हजार) रू0 प्रति कार्य दिवस की दर से अधिकतम 25 दिन अर्थात् 25000/– (पच्चीस हजार) रू0 प्रतिमाह पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है।
3. अतिथि शिक्षक के पारिश्रमिक का भुगतान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, द्वारा संबंधित विद्यालय से प्राप्त मांग पत्र के अनुरूप आवंटन संबंधित विद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी तथा विद्यालय के माध्यम से ही ऐसे अतिथि शिक्षकों को पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।
4. संबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य अपने विद्यालय में सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों की सूची बैंक खाता संख्या एवं कार्य दिवस की गणना के साथ संगत शीर्ष से राशि की निकासी कर RTGS के माध्यम से संबंधित अतिथि शिक्षक के खाते में राशि अन्तरित करेंगे।
5. यदि अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा देने वाले व्यक्ति का कार्यकलाप असंतोषजनक पाया जाता है तो विद्यालय की तदर्थ समिति सक्षम प्राधिकार (जिला शिक्षा पदाधिकारी) का अनुमोदन लेकर अतिथि शिक्षक को कार्यमुक्त कर सकेगी।

सभी चयनित अभ्यर्थी (सूची संलग्न) को निदेश दिया जाता है कि सूचना प्रकाशन के सात दिनों के अन्दर अपने शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ चयनित विद्यालय में उपस्थित हो, अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। साथ में प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र, मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र तथा फोटोयुक्त परिचय पत्र दो फाईल फोल्डर में योगदान के समय ले जाना अनिवार्य है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सत्यापन किया जा सके।

अलुनग्लकः– यथोक्त।

13/07/18

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा,
किशनगंज।

13.7.18

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
किशनगंज।

ज्ञापांकः– 355 /किशनगंज, दिनांकः– 13-07-18 ।

प्रतिलिपिः– संबंधित चयनित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संबंधित सभी प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक, +2 उच्च विद्यालय जिला–किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

13/07/18

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा,
किशनगंज।

13.7.18

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
किशनगंज।